

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, चास।

7/1/2021

11/1/21

सिमा

द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत कार्यवाही
एम०पी० वाद संख्या 277/2020

प्रथम पक्ष :- 1. जूही खातून पिता मो० खालिक खान, सा० अंसार नगर, नियर नूरी मस्जिद, पो०-थाना चास, जिला बोकारो।

—: बनाम् :-

द्वितीय पक्ष :- 1. मो० खालिक खान पिता मो० सूरज खान 2. नजमा खातून पति मो० खालिक खान 3. नूरी पिता मो० खालिक खान 4. मो० अख्तर पिता मो० हस्सान 5. गून उर्फ मिथु पिता मो० खालिक खान, सा० अंसार नगर, नियर नूरी मस्जिद, पो०-थाना चास, जिला बोकारो।

कार्यवाही

प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 12.11.2020 का अवलोकन किया गया।

उपर्युक्त आवेदन के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि दोनों पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है जिससे कभी भी शांति भंग होने की आशंका है। परिणामस्वरूप द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत दोनों पक्षों के सदस्यों के विरुद्ध निषेधाज्ञा कार्यवाही करने हेतु प्राप्त है ताकि शान्ति-व्यवस्था बनाया जा सके।

विवादित भूमि का विवरण:-

राजस्व ग्राम/मौजा का नाम	पुलिस थाना का नाम	खाता सं०	खेसरा/प्लॉट सं०	रकबा
चास	चास	20	5709	2-1/2 डी० कुल रकबा 06 डी०

चौहद्दी:-

उत्तर — रोड,
पूरब— मो० रोशन,

दक्षिण— कयूम अंसारी,
पश्चिम— अब्दुल हामिद,

अतः सम्यक विचारोपरान्त द०प्र०स० की धारा 144 के अन्तर्गत उपरांकित विवरण की भूमि पर एतद् द्वारा दोनों पक्षों के सदस्यों को जाने से निषिद्ध किया जाता है। साथ ही दोनों पक्षों के सदस्यों को यह आदेश दिया जाता है कि आगामी दिनांक 17.1.21/2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर इस आशय का कारण-पृच्छा यदि कोई हो तो अर्पित करें कि उपरांकित भूमि पर जाने के लिए निषेधाज्ञा को क्यों नहीं निरपेक्ष कर दिया जाय।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
चास।

11/1/2024

~~1st party~~

filed true petition.

~~2nd party~~

filed reply to s/c.

1st party to reply s/c positively
by next date.

Next hearing on 07.01.2024.

S/-
11/1/2024

11/1/2024

~~1st~~ Next hearing on 11/1/2024

S/-
11/1/2024

~~11/1/2024~~
11/1/2024

1st party absent

The continued absence of 1st party
clearly shows that they are not
interested in the case.
Sec 144 is very supposed to be used
for emergency needs of breach of peace
hence case is dropped

S/-

11/1/2024